


**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

**सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों का संविदा आधारित नियोजन सूचना**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना में सचिवालय सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल कुल-38 (अड़तीस) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 एवं पत्र सं0-3815, दिनांक-11.03.2016 में विहित प्रावधान के तहत बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त (बिहार सचिवालय सेवा) सहायकों से निम्नांकित शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-


1. सचिवालय सहायक के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में दो वर्षों अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
2. नियोजन कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर बनेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।
6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि
  - क) उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
  - ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
  - ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।
  - घ) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।
9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3815, दिनांक-11.03.2016 में निर्धारित गापदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. आरक्षण कोटि के विरुद्ध नियोजन की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं पी0पी0ओ0 की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में हाथों-हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक-05.12.2016 के अपराह्न 5:00 बजे तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना में जमा करेंगे। संबंधित सूचना एवं निहित प्रपत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट [www.phed.bih.nic.in](http://www.phed.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है।

  
(दयाशंकर सिंघा)  
संयुक्त सचिव (प्र0को0)  
11/11/16

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक के पदों पर संविदा  
आधारित नियोजन हेतु आवेदन का प्रपत्र

- (1) आवेदित पद का नाम:-
- (2) आवेदक का नाम (हिन्दी में):-  
आवेदक का नाम (अंग्रेजी में):-
- (3) पिता का नाम:-
- (4) जन्म तिथि:-
- (5) लिंग:-
- (6) आरक्षण कोटि:-
- (7) शैक्षणिक योग्यता:-
- (8) कार्य अनुभव:-
- (9) पत्राचार का पता:-
- (10) स्थायी पता:-
- (11) फोन नं०/मोबाईल नं०:-
- (12) ई-मेल:-
- (13) सेवा संवर्ग:-
- (14) सेवा निवृत्ति की तिथि:-
- (15) कार्यालय/विभाग का नाम,  
जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं:-
- (16) विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि:-
- (17) सेवानिवृत्त के समय धारित पद एवं वेतनमान:-
- (18) सेवा पेंशन प्रदायी है अथवा नहीं?
- (19) पी०पी०ओ०सं० (अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ):-
- (20) अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/ निगरानी वाद/  
विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?
- (21) असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा  
पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति:-
- (22) अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/  
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण:-



1. वर्ष अभ्युक्ति
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सभी सूचना सही है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर